

सामान्य प्रशासन विभाग
रायपुर
दस्तावेज क्र. सिंह नया, रायपुर-472001

/आदेश/

रायपुर, दिनांक /03/2011

क्रमांक 324 / 372 / 2011 / 1-6 - लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को केन्द्र प्रदायित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम की समीक्षा बैठक दिनांक 15.9.2010 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 13 में लिए गए निर्णयानुसार उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालयों का शीघ्र निर्माण और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य शासन एतद्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थान पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग घोषित करता है।

2/ इस संबंध में आने वाली प्रशासनिक एवं वित्तीय औपचारिकताओं का समाधान दोनों विभाग आपस में वित्त विभाग के सहयोग से करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(के.आर.मिश्रा)

संयुक्त सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग

रायपुर, दिनांक 18 / 03 / 2011

पृष्ठा.क्र. 325 / 372 / 2011 / 1-6
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर।
2. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर उनके पत्र क्र. पंग्राविवि/13वें वित्त/595/2011/173, दिनांक 21.02.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
4. संयुक्त सचिव (स्वच्छता), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग, 12वीं मंजिल, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ.काम्पलेक्स, नई दिल्ली।
5. सचिव, छ.ग.शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. विकास आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, रायपुर।
7. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर, मंत्रालय, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

T.S./A.S./G.S./E.S./

H.O.S./C.E.(M)/E-in-C.

23/3/11

CCDC

EE/SE/EE

23/3/11

संयुक्त सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,

सामान्य प्रशासन विभाग